न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार (आरएएस)

वाद पत्र संख्या :– 95/2021 निर्णय दिनांक :– 28.07.2022

उनवान

1 हरिनारायण पुत्र श्री घासी राम उर्फ घीस्या जाति रैगर निवासी–ग्राम थली तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––प्रतिवादी

दावा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी ने वाद निम्न प्रकार पेश किया कि वाके ग्राम थली तहसील चाकसू जिला जयपुर में आराजी खाता संख्या 13 में खसरा नंबर खसरा नंबर 1428 रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 1428/3 रकबा 0.29 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.46 है0 स्थित है। जिस पर वादी काबिज काश्त होकर अपने परिवार का जीविकापार्जन करता है। वर्णित आराजी पूर्व में [illegible] पिता स्व. घीस्या उर्फ घासीराम के नाम राज[illegible] मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी का नामान्तकरण जब वादी के [illegible]म विरासत का खु[illegible] गलती से हरि नारायण की जगह उदा कर दिया क्योकि वादी हरि नारायण को गाँव में उदा कहकर भी पुकारा जाता था जबकि वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:37:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि हरि नारायण पुत्र
म के नाम से बने हुये है। उक्त नामान्तकरण में सहवन से हरि नारायण
गह उदा कर दिया गया जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार उदा
ीस्या नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम थली में नहीं है केवल वादी के नाम
ारायण की जगह उदा नामान्तकरण तस्दीक करते वक्त राजस्व कर्मचारियों
कर दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त दुरुस्ती के
वादी अपनी जमीन पर मिलने वाली राजकीय, लाभो, ऋणो इत्यादि से
त है वादी ने उक्त दुरूस्ती हेतु तहसीलदार जी जून माह 2021 में निवेदन
ा तो उन्होने सक्षम न्यायालय से नाम दुरूस्त करवाये जाने की हिदायत दी
लिये वादी को उक्त बाद पेश करना आवश्यक हुआ। वाद कारण जब जून
2021 में नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किये जाने पर तहसीलदारजी ने सक्षम
यालय से दुरुस्त करवाने की हिदायत दी गई तब उत्पन्न हुआ जो निरन्तर
री है। दावा वादी बहक प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाद पत्र में मद नं. 1 में
र्णित आराजी में वादी का नाम उदा को हज़ब कर हरि नारायण घोषित किया
वे तथा तहसीलदार जी को आदेशित किया जावे कि वादी का नाम उक्त
जस्व रिकार्ड में अमल उदा को हटा कर किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त हरि
रायण अंकित कर किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द
िया जावें कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पेदा नहीं
रे।

दावा वादी वकील द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर बहस
दावा वकील वादी सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये
कथन किया कि सहवन से नामान्तकरण खोलते वक्त उदा पुत्र घीस्या दर्ज हो
गया है जबकि वादीगण का वास्तविक नाम हरि... पुत्र घासीराम है व इसी
अनुसार जमावन्दी मे अमल हो गया... प्रस्तुत ... पहचान पत्र, राशन
कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड समर्थन में ग्राम ...ली तहसील चाकसू की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:37:14 IST
Reason: SelfAttested

...अधिकारी
...(जयपुर)

D:\Office\CRT\harinarayan vs sarkar.docx

Scanned with CamScanner

ी आराजी खाता संख्या 13 में खसरा नंबर खसरा नंबर 1428 रकबा 0.
खसरा नंबर 1428/3 रकबा 0.29 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.46
े ग्राम थली तहसील चाकसू मे पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड,
ार्ड का बतौर दस्तावेज सबूत हेतु पेश किये गये।

वकील वादी की बहस पर गोर किया व ग्राम थली तहसील चाकसू की
न्दी आराजी खाता संख्या 13 में खसरा नंबर खसरा नंबर 1428 रकबा 0.
0, खसरा नंबर 1428/3 रकबा 0.29 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.46
ाके ग्राम थली तहसील चाकसू, पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड,
कार्ड, का परीक्षण किया गया तो सहवन से नामान्तकरण खोलते वक्त व
बन्दी मे अमल करते वक्त उदा पुत्र घीस्या दर्ज हो गया है जो जो गलत
ात है, जिसे पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड के अनुसार
उर्फ हरिनारायण पुत्र घासीराम है उसके अनुसार वादी का नाम दुरूस्त
या जाना उचित प्रतीत है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है
वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम थली तहसील चाकसू के वादग्रस्त भूमि के आराजी
ाबन्दी आराजी खाता संख्या 13 में खसरा नंबर खसरा नंबर 1428 रकबा 0.
है0, खसरा नंबर 1428/3 रकबा 0.29 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.46
वाके ग्राम थली तहसील चाकसू भूमि में अंकित नाम उदा पुत्र घीस्या के
ान पर उदा उर्फ हरिनारायण पुत्र घासीराम दुरूस्त किया जाता है व इसी
नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय
नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार चाकसू को लिखा
ावें, पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:37:14 IST
Reason: SelfAttested

14-12-15

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Scanned with CamScanner